न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 99/2024

बलवीर सिंह बनाम सतनाम सिंह

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजेश गुम्बर अधिवक्ता — प्रार्थी/प्रतिवादीगण
2. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता — अप्रार्थी /वादी

–:: आदेश ::– **दिनांक :– 24.12.2025**

वकील प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी द्वारा वाद पत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या–2 के नाम बराबर बराबर दर्ज चक 7 जैड, पटवार हल्का 9 जैड, तह० व जिला श्रीगंगानगर की जमानबन्दी सम्वत 2072/75 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थाई के संयुक्त खाता संख्या 60/47 के मुरब्बा नं. 48 के किला नं. 5/6 (0.047 है0), 5/7 (0.006 है0 खाला), 6/2 (0.053 है0), 15/2 (0.053 है0), 25/2 (0.053), 25/5 (0.009 है0) कुल 0.274 है0 (0.006 है० खाला + 0.268 है0), 15/2 (0.053 है0), 16/2(0.053 है0), 25/2(0.053 है0), 25/5 (0.009 है0)=0.268 है० नहरी कृषि भूमि को गै०मु० रास्ता घोषित करने व प्रतिवादी संख्या–3 कमला देवी के नाम दर्ज चक 13257 जैड, तह0 व जिला श्रीगंगानगर जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के एकल खाता संख्या 16/8 के मुरब्बा नं. 47, 54 की कुल 2.584 है, कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 21 के पश्चिती कोना की 31 फुट इंच गुणा 17 फीट 5 इंच यानि 0.005 है, कृषि भूमि को गैर मु0 रास्ता घोषित कर उक्त कृषि भूमि की डीएलसी दर अनुसार राशि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,4,5 व 6 को ब हिः ब भुगतान करने के आदेश दिये जाने बाबत् प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 251–ए रास्ता काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत घोषणात्मक प्रकृति का वास्ते रास्ता घोषित करवाने बाबत् प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनुसार दावा रास्ता घोषित करवाने बाबत् प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, केवल अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी के अन्तर्गत आवश्यकता के आधार पर रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। वादी द्वारा वाद पत्र में आवश्यकता के आधार पर रास्ता स्वीकृत करने बाबत् कोई कथन नहीं किये गये हैं । वादी एवं प्रतिवादी संख्या–2 की संयुक्त भूमि होने का कथन किया है। मौके पर बंटवारा अनुसार वादी के हिस्से की करीबन 17.5 फीट भूमि में प्रार्थी अपनी भूमि में काश्त हेतु आवाजाही कर सकता है। बेवजह विधि विरूद्ध करीब 31 फुट वादी की भूमि के साथ साथ प्रतिवादी संख्या–2 व 3 की भूमि में बिना जरूरत घोषणात्मक प्रकृति का वाद पत्र रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत् प्रस्तुत किया गया है। 31 फुट का रास्ता स्वीकृत करने से कृषि योग्य भूमि खराब होगी व राजस्व की हानि होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत् घोषणात्मक प्रकृति का होने के कारण विधि विरूद्ध आधार पर खारिज फरमाया जावे ।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी द्वारा वाद पत्र धारा 88–188–251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। यह तथ्य अस्वीकार है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा रास्ता घोषित करने बाबत प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। रास्ता घोषित करवाना व रास्ता स्वीकृ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

त करवाना दोनो एक ही बात है इसके सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान दिये हुए है। यह तथ्य अस्वीकार है कि वादी 17 फीट 5 इंच भूमि में काश्त हेतू आवाजाही कर सकता है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त रूप से रास्ता के लिए छोड़ी गई भूमि दोनो भाईयो ने अपनी अपनी भूमि के उपयोग की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए आवाजाही हेतू रास्ते के रूप में प्रयोग करने के लिए उक्त रकबा संयुक्त रखा था। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं यह अंकित नहीं है कि वादी का दावा आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान से हिट होता है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत निस्तारण करते समय केवल वाद पत्र देखा जाना है। वाद पत्र में वादी द्वारा रास्ता हेतू आवश्यकता वर्णित की हुई है। रास्ता के सम्बन्ध में मौका पर रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें मौका पर रास्ता चालू है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है। रास्ता की घोषणा के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार केवल राजस्व न्यायालय को है वादी द्वारा वाद पत्र रास्ता काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता मन्जर करने के विधिक प्रावधान है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रकरण को लम्बा करने के लिए एवं तंग परेशान करने के लिए आधारहीन तथ्यो पर पेश किये गया है। प्रार्थना पत्र को सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानो के अनुसार सत्यापित नहीं किया गया है एवं प्रार्थना पत्र. के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की विधिक अवहेलना में पेश किया हुआ होने के कारण काबिले निरस्ती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पेश आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र संव्यय खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 251—ए रास्ता काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत घोषणात्मक प्रकृति का वास्ते रास्ता घोषित करवाने बाबत् प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनुसार दावा रास्ता घोषित करवाने बाबत् प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, रास्ता स्वीकृत हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251—ए के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश दिनांक 24.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(नयनत[illegible] गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर